

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएस)  
प्रकरण संख्या:- 71/2007

दायर दिनांक:- 06.06.2007

जीसीएमएस नं. 2007/00090

उनवान

काडे पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील हिण्डौन जिला करौली  
राजस्थान

—वादीगण-07

बनाम

सुगनी बेवा रतन जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील हिण्डौन जिला करौली

—प्रतिवादीगण-21

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 12-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 71/2007 काडे बनाम सुगनी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायलय में सुनाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी